राजस्थान सरकार

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 17(16)खा.वि./विधि/2011 जयपुर, दिनांक 26.04.2016

1. समस्त जिला कलेक्टर्स
   राजस्थान।
2. समस्त जिला रसद अधिकारी,
   राजस्थान।

माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सार्वजनिक–निजी सहभागिता के माध्यम से जनसाधारण को, उचित मूल्य दुकानों द्वारा उच्च गुणवत्ता की मल्टीब्रॉण्ड उपभोक्ता वस्तुएं उचित एवं प्रतिस्पर्धी दरों पर उपलब्ध कराने की अन्नपूर्णा भण्डार योजना अवधारित की गई है।

राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खण्ड 3(1) के तहत उचित मूल्य दुकानों के प्राधिकार पत्र जारी किये जाने हेतु पूर्व में जारी समस्त आदेश/परिपत्र एवं दिशा–निर्देशों के क्रम में नवीन उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु अन्नपूर्णा भण्डार योजना के क्रियान्वयन के दृष्टिकोण से निम्नलिखित मानदण्ड निर्धारित किये जाते है :–

1. उचित मूल्य दुकान डीलर की स्वयं की होनी चाहिए।
2. दुकान का न्यूनतम क्षेत्रफल 10X20 (200 वर्ग फीट) होना चाहिए।
3. दुकान कम से कम 30 फीट रोड़ पर खुलती हुई होनी चाहिए।
4. इस मॉडल को स्वीकार करने के लिए उचित मूल्य दुकानदार की सहमति होनी चाहिए।

नोट :– बिन्दु संख्या 1 के अनुसार डीलर की स्वयं की दुकान न होने पर किराये की दुकान उपरोक्त वर्णित मापदण्डों के आधार पर चिन्हित की जा सकती है, बशर्ते कि दुकान मालिक की लिखित सहमति हो।

अतः उचित मूल्य दुकान आवंटन हेतु जारी नवीन दिशा–निर्देश दिनांक 17.03.2016 के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार अन्नूपर्णा भण्डार हेतु योग्यताए भी सुनिश्चित करें।

भवदीय,

26/04/16

(डॉ. सुबोध अग्रवाल)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपिः—निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है –

1. निजी सचिव, शासन सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान ।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय खाद्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खाद्य विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
8. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, खाद्य विभाग, जयपुर।
9. निजी सचिव, प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम, जयपुर।
10. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
11. समस्त प्रबंधक, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम, राजस्थान।
12. समस्त विभागीय अधिकारी, खाद्य विभाग, जयपुर।
13. रक्षा पत्रिका।

26.05.2016

(आकाश तोमर)
उपायुक्त एवं उप शासन सचिव